

19/11/25

सामुदायिक पंचायत की वकील दम्पत्य उपस्थित  
 होकर वादीगण द्वारा दिये गये कानून प्रतिकार  
 प्राप्त है। विस्तार क्रियार्थक एवं सिद्धी प्रचण्ड है। लिखित  
 पत्र साक्षि प्रमाणों, सिद्धी गये, प्रमाणों के साथ  
 सुभा (सिद्धी) दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
 बाही जिला-धौलपुर